(22)

वित्तीय स्वीकृति/आयोजनेत्तर
संख्या:1073/XVII-3/2011-02(बजट)/2010

प्रेषक,

बी0आर0 टम्टा,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
समाज कल्याण उत्तराखण्ड,
हल्द्वानी, नैनीताल।

समाज कल्याण अनुभाग-3 देहरादून: दिनांक 02 नवम्बर, 2011

विषय: चालू वित्तीय वर्ष 2011-12 के आय-व्ययक में समाज कल्याण विभाग से संबंधित अनुदान **संख्या-15 के आयोजनेत्तर पक्ष के मानक मद 16-व्यावसायिक सेवाओं तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान मद में प्राविधानित धनराशियों के संबंध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक सचिव, अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग,देहरादून का पत्र संख्या: 384/अ0पि0व0आ0/बजट-162/2011-12 दिनांक 14 अक्टूबर, 2011 **(छायाप्रति संलग्न)** का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, तत्क्रम में वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या: 584/XXVII(1)/2008 दिनांक 07 अक्टूबर, 2011 की छायाप्रति संलग्न कर प्रेषित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2011-12 के आय-व्ययक में प्रथम अनुपूरक अनुदान की स्वीकृति में समाज कल्याण विभाग से संबंधित अनुदान संख्या-15 के आयोजनेत्तर पक्ष की अवचनबद्ध मदों में प्राविधानित धनराशि को संलग्नक के अनुसार रू0 5,00,000/- (रू0 पांच लाख मात्र) की धनराशि को चालू वित्तीय वर्ष 2011-12 में वित्त विभाग के उक्त शासनादेश में प्रथम अनुपूरक अनुदानों की स्वीकृति के माध्यम से प्राविधानित धनराशि एवं निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन निर्वतन पर रखते हुए व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1. वित्त अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या: 584/XXVII(1)/2011 दिनांक 07 अक्टूबर, 2011 में उल्लिखित समस्त शर्तों एवं दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
2. आयोजनेत्तर पक्ष की अन्य मदों के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या-209 XXVII(1)/2011 दिनांक 31 मार्च, 2011 के प्रस्तर-2 में दिये गये निर्देशानुसार कार्यवाही की जाय।
3. अवचनबद्ध मदों में व्यय करने से पूर्व सक्षम स्तर का अनुमोदन अवश्य प्राप्त कर लिया जाय।
4. अनुदान के अंतर्गत होने वाले सम्भावित व्यय की फेजिंग (त्रैमास के आधार पर) अनिवार्य रूप से शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए, जिससे राज्य स्तर पर कैशफ्लो निर्धारित किये जाने में किसी प्रकार की कठिनाई न उत्पन्न हो।
5. आय-व्ययक द्वारा व्यवस्थित उक्त धनराशि में से केवल स्वीकृत चालू योजनाओं पर ही व्यय किया जाए और किसी भी दशा में उक्त धनराशि का उपयोग नए कार्यों के कार्यान्वयन के लिए नहीं किया जाए।
6. उक्त आवंटित धनराशि किसी ऐसी मद पर व्यय करने से पूर्व वित्तीय हस्त पुस्तिका के अंतर्गत शासन या अन्य सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति आवश्यक हो तो ऐसा व्यय अपेक्षित स्वीकृति प्राप्त करके ही किया जाए।
7. यह व्यक्तिगत रूप से सुनिश्चित कर लिया जाए कि आवश्यकतानुसार आंवटित धनराशि के प्रत्येक बिल में चाहे वह वेतन आदि के संबंध में हो अथवा आकस्मिक व्यय के संबंध

में, सम्पूर्ण मुख्य/लघु/उप तथा विस्तृत शीर्षक को अंकित किया जाए और प्रत्येक बिल में दाहिनी और लाल स्याही से अनुदान संख्या–15 तथा आयोजनागत शब्द स्पष्ट लिखा जाए, अन्यथा महालेखाकार, कार्यालय में सही बुकिंग में बाधा होगी।

8. संलग्नक में वर्णित धनराशियों का समय से उपयोग करने के लिये यह भी सुनिश्चित कर लें कि धनराशि परिधिगत अधिकारियों को तत्काल अवमुक्त कर दी जाए। आवंटन एवं व्यय की स्थिति से यथासमय शासन को अवगत कराया जाए।
9. मितव्ययता के संबंध में नियमों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।
10. यदि किसी अधिष्ठान/योजनाओं के अंतर्गत अतिरिक्त धनराशि की मांग का औचित्यपूर्ण प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
11. अप्रयुक्त धनराशि वित्तीय हस्त पुस्तिका के प्राविधानों के अंतर्गत समय–सारिणी के अनुसार समर्पित किया जाना सुनिश्चित किया जाए।
12. उपर्युक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन अपने एवं अधीनस्थ स्तरों पर भी सुनिश्चित करें।
13. बी0एम0–13 पर संकलित मासिक सूचनाऐं नियमित रूप से शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
14. इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2011–12 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या–15 के अंतर्गत संलग्न तालिका में उल्लिखित लेखाशीर्षकों की सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नामे डाला जाएगा।

संलग्नकः यथोपरि।

भवदीय,

(बी0आर0 टम्टा)
अपर सचिव।

पृष्ठांकन संख्याः 1073 (1)/XVII-3/2011-02(बजट)/2010 तद्दिनांकित।
प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. निजी सचिव–मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
2. निजी सचिव, मा0 समाज कल्याण मंत्री, उत्तराखण्ड
3. निजी सचिव–मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. मण्डलायुक्त, गढ़वाल/कुमाऊँ उत्तराखण्ड।
6. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवाऐं, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. जिलाधिकारी, नैनीताल।
8. वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, नैनीताल/देहरादून, उत्तराखण्ड।
9. सचिव, उत्तराखण्ड अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग, देहरादून।
10. समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी, उत्तराखण्ड।
11. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–03, उत्तराखण्ड शासन।
12. बजट, राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर, देहरादून। 13. समाज कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ, सचिवालय परिसर, देहरादून।
14. राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर, देहरादून।
15. आदेश पंजिका।

आज्ञा से,

(आर0के0 चौहान)
अनु सचिव।